<u>माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

नीलामी की तिथि	:	**दिनांक 28.03.2019**
नीलामी का स्थान	:	**M- Block** **उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **'एम' ब्लाक** में स्थिति **08 दुकानें : भू–तल पर 6 दुकानें** (1 ट्रेवल ऐजेण्ट, 1 पैथॉलॉजी, 1 मिल्क बूथ पराग, 1 फेस जूस एवं फल, 2 फोटोकॉपी) **एवं प्रथम तल पर 2 दुकानें** (1 फोटोग्राफी, 1 इण्टरनेट कैफे) को **वार्षिक अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इसी के साथ **06 केबिनों : <u>भू–तल पर</u> 05 केबिन** (1 बैण्ड/गाउन/कोट सेलर, 2 स्टेशनरी सेलर, 02 टाइपिस्ट) **एवं प्रथम तल पर 01 केबिन** (01 टाईपिस्ट) को **वार्षिक अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित **दुकानों एवं केबिनों** की **नीलामी दिनांक 28.03.2019 (गुरूवार)** को **प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर** में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 27.03.2019 तक प्रात : 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 27.03.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों/केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के गेट नम्बर– 6 के निकट, फैजाबाद रोड की तरफ स्थित **'पास सेक्शन'** में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में **दिनांक 27.03.2019 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे** तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक 16.03.2019

विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

कुल दुकाने – 08

कम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
भूतल			
1	1	174.21	ट्रेवल एजेण्ट हेतु Travel Agent
2	2	184.99	पैथॉलाजी टेस्ट व कलेक्सन सेन्टर के सैम्पेल एकत्र करने की दुकान हेतु Collection Center of Samples for Pathological Tests
3	4	185.82	मिल्क बूथ (पराग) हेतु
4	5	189.15	फ्रेस जूस तथा फेस कट की दुकान हेतु Fresh Juice and Fresh Cut Fruits
5	9	191.66	फोटोकापी दुकान हेतु
6	16	172.00	फोटोकापी दुकान हेतु
प्रथम तल			
7	101	174.21	फोटोग्राफी हेतु Photography
8	106	182.50	इण्टरनेट कैफे (बिना तार के कनेक्सन) Internet Cafe for E-Mail / Scanned Mail / Digital Signature [without wired connection (through dongle /any other wireless mode)

कुल केबिन – 6

कम संख्या	दुकान संख्या, (जैसा कि प्रत्येक दुकान में अंकित है)	दुकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	दुकान का प्रकार (जिस हेतु दुकान अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)
भूतल			
1	20	57	बैण्ड/गाउन/कोट सेलर
2	21	38	स्टेशनरी सेलर
3	22	38	स्टेशनरी सेलर
4	33	38	टाईपिस्ट
5	47	38.52	टाईपिस्ट
प्रथम तल			
6	124	38	टाईपिस्ट

नीलामी की शर्ते

1. दुकानें, 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक **01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020** तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. **दुकानों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राशि रू0 20,000/–** एवं **केबिनों** के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु **अग्रिम जमानत राशि रू0 5,000/–** नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन–पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **27.3.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक **27.3.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

4. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **27.3.2019** तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

5. नीलाम होने वाली दुकानों को नीलामी वाले दिन नीलामी के समय से **2 घण्टे पूर्व** गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

6. **किसी भी दुकान** की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 2,30,000.00** है। **किसी भी केबिन** की बोली हेतु **न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 20,000/—** है।

7. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की **25 प्रतिशत धनराशि (अग्रिम जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि)** तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा इस प्रकार आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार उपरोक्त शर्तों को पालन किया जायेगा।

8. **शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।**

09. नीलामी की गयी दुकान का कब्जा उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जबकि उसने दुकान के अनुज्ञपप्ति शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया हो।

10. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान लेने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुज्ञंप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होगें।

11. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2020 तक दुकान से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा।

12. जिस उद्देश्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी, वह दुकान उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।

13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान में कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा—कचरा उसी कूड़ादान मे डालेगा।

14. बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही दुकान को कोई नुकसान पहुचायेगा।

15. दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं दुकान रखने वाली की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चारी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

16. दुकानों का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 प्रत्यके कार्य दिवस को सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।

17. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब–मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।

18. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

19. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान अनुज्ञप्ति पर नही दी जायेगी।

20. जिस व्यक्ति को दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति का वह दुकान संचालन हेतु नही देगा।

21. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नही कर सकता है।

22. **फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है।**

23. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

24. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

25. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

26. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

27. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी दी जायेगी।

आज्ञा से,

विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

केबिन हेतु

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **केबिन** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
   (जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे)
   - (1) स्टेशनरी सेलर हेतु ______
   - (2) लॉ बुक सेलर हेतु ______
   - (3) टाईपिस्ट हेतु ______
   - (4) लाई चना एवं पॉपर्कान हेतु ______
   - (5) कम्प्यूटर सर्विस सेण्टर/ कम्प्यूटर स्टेशनरी केबिन हेतु ______

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम :
   (जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम :

4. लिंग :

5. उम्र :

6. पता :

7. राष्ट्रीयता :

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : /03/2019

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

<u>दुकान हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **<u>दुकान</u>** को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
   (जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे)
   (1) फोटोकापी हेतु ______
   (2) फोटोग्राफी हेतु ______
   (3) ट्रेवेल एजेण्ट हेतु ______
   (4) कलेक्शन सेण्टर ऑफ सैम्पल फॉर पैथालॉजिकल टेस्ट हेतु ______
   (5) मिल्क बूथ (पराग) हेतु ______
   (6) फ्रेस जूस एण्ड फेस कट फ्रूट्स हेतु ______
   (7) इन्टरनेट कैफे हेतु ______
   (8) मेडिसिन शॉप हेतु ______

2. प्रार्थी का नाम / फर्म का नाम :
   (जिसके नाम आवेदन किया जाना है)

3. पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम :

4. लिंग :

5. उम्र :

6. पता :

7. राष्ट्रीयता :

8. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से : डाउन लोड किया गया है तो

   डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

दिनांक : / 03 / 2019

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

संलग्नक

Special Terms & Conditions of auction of Shops and Cabins :

The special terms & conditions for auction of shops and cabins :

Sl.No.	Type & Purpose	Terms & Conditions.
1.	For Photocopy, Photography, Typist, stationery seller and Law Book Sellers	All the terms & conditions which were prevailing during the last auction in the year 2017 will remain same.
2.	Collection Center of Samples for Pathological Tests	The License Holder will run his shop as per norms prescribed by Medical Council and also ensure that all the biomedical/clinical waste will be disposed off, daily, by the License Holder as per prescribed norms of the Medical Council.
3.	Milk Booth (Parag)	The License Holder shall keep the dustbin and ensure cleanliness in and around the Shop.
4.	Travel Agent / Internet Cafe / Computer Servicer Centre / Computer Stationery	The License Holder shall arrange for internet connection on his own (through dongle or any other device). High Court will not provide any kind of wired connection.
5	Fresh Juice and Fresh Cut Fruits	The License Holder shall ensure only fresh juice and fresh cut fruits are served in the Shop.